पत्र संख्या–स्था–2–विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/2025–26/ 2250 /राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक : 04/8/ 2025

// आदेश //

राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में **ADJUDICATION** विषय पर दिनांक **18.08.2025** से **22.08.2025** तक आफलाइन पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम तक प्रस्तावित है, जिसमे प्रतिभाग करने हेतु निम्नवत अधिकारियों को नामित किया जाता है:–

ADJUDICATION विषय पर दिनांक 18.08.2025 से 22.08.2025 तक प्रशिक्षण हेतु नामित अधिकारी

S.N.	EMPID	NAME	DES.	OFF_NAME	MOBILE
1	122747	Ajay Kumar Singh-II	DC	DC Sector -23,Lucknow	9984400179
2	124045	Kul Deep	DC	DC Sector -1,Unnao	9650104551
3	112014	Lal Chandra	DC	DC Sector -1,Hapur	9634340445
4	124641	Lallan Prasad Yadav	DC	DC Sector -1,Sambhal	9455474481
5	122751	Lohitesh Smriti Sharan	DC	DC Sector -1,Sultanpur	9999627279
6	125167	Lomesh Kumar	DC	DC Sector -1,Shamli	8527530228
7	124642	Mahesh Chandra-III	DC	DC Sector -1,Amroha	9196123449
8	123955	Mamta Upadhyay Smt.	DC	DC Sector -1,Prayagraj	7235002355
9	125333	Mamta Yadav Ms.	DC	DC Sector -1,Meerut	7235001141
10	124562	Ritesh Mishra	DC	DC Sector -1,Sonbhadra	9454302037
11	112093	Krishna Kumar Tewari	DC	DC Sector -2,Gonda	8052549587
12	125334	Rikesh Singh	DC	DC Sector -2,Pilibhit	9450196574
13	124567	Krishna Veer Yadav	DC	DC Sector -3,Jhansi	9654750076
14	123971	Kuldeep Ratan Singh	DC	DC Sector -3,Gorakhpur	8194087673
15	123964	Mahesh Chand	DC	DC Sector -3,Basti	7235003330
16	123953	Kuldeep Gyanee	DC	DC Sector -4,Aligarh	9415385604
17	124848	Pradeep Kumar-VI	DC	DC Sector -4,Azamgarh	7409309539
18	125117	Manjushree	DC	DC Sector -9,Kanpur	7235003143
19	125173	Krishna Kumar	DC	DC Sector -15,Varanasi	9696908748
20	112119	Puneet Tripathi	DC	DC Sector -20,Gautam Budh Nagar	7235001040
21	124591	Anand Kumar Singh-II	AC	AC Sector -1,Deoria	7235001661
22	125808	Hem Kant Singh	AC	AC Sector -1,Gautam Budh Nagar	7800162945
23	125474	Jai Singh Yadav-II	AC	AC Sector -1,Auriya	9720718596
24	127213	Jyoti Singh Ms	AC	AC Sector -1,Bhadohi	8878812989
25	124521	Sarvesh Chandra Srivastava	AC	AC Sector -1,Jaunpur	8318379060
26	124509	Gulab Chandra-IV	AC	AC Sector -2,Shikohabad	7235002245
27	125772	Hari Nath Yadav	AC	AC Sector -2,hathras	9005342242
28	124056	Pradeep Kumar-IV	AC	AC Sector -2,Bulandshahar	7235002947
29	125900	Pradeep Kumar-IX	AC	AC Sector -2,Rampur	9891390235
30	125767	Divya Tripathi Ms.	AC	AC Sector -3,Varanasi	9451053074
31	125918	Gajendra Pal Singh	AC	AC Sector -3,Maharajganj	8860988016
32	124059	Radhe Shyam Singh Yadaw	AC	AC Sector -3,Rampur	6388293017
33	124684	Rahul Kumar-I	AC	AC Sector -3,Ballia	7985749978
34	127250	Dushyant Ghildiyal	AC	AC Sector -4,Moradabad	8375052624
35	124841	Bhasker Singh	AC	AC Sector -5,Kanpur	7235001242
36	127409	Gaurav Singh	AC	AC Sector -5,Bareilly	8086019071
37	125158	Jeetendra Pratap Verma	AC	AC Sector -5,Jhansi	7235003843
38	125778	Manoj Kumar Yadav-IV	AC	AC Sector -6,Prayagraj	9919244088
39	125807	Anupama Singh Ms.	AC	AC Sector -7,Lucknow	8957222544
40	125745	Prashant Singh-I	AC	AC Sector -7,Prayagraj	9452925939
41	124161	Devendra Singh-III	AC	AC Sector -8,Aligarh	7235001528
42	125731	Vipin Kumar Shukla	AC	AC Sector -10,Ghaziabad	8004063160
43	126190	Sukh Ram Verma	AC	AC Sector -14,Ghaziabad	7838343250
44	125911	Deepika Jain Ms.	AC	AC Sector -15,Agra	8750829193
45	125426	Singh Pradeep Bhuvneshwar	AC	AC Sector -15,Gautam Budh Nagar	9654087950

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक 18.08.2025 से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ, के कार्यालय में प्रत्येक दशा में उक्त दिनांक की प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें। **अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैः–**

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी ।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगां ।
- अधिकारियों के खान–पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेंगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं0 4905 दि0 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
- यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(जैमिनी)
संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।